इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 9 अंक : 8 मार्च, 2017 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।
मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 5
विनियमकों के कथन ---------- 6
बीमा---------- 7
नयी नियुक्तियाँ ---------- -7
उत्पाद एवं गठजोड़ ---------- 8
विदेशी मुद्रा ---------- 8
शब्दावली ---------- 9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 10
संस्थान समाचार ---------- 10
बाजार की खबरें ---------- 13

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य - 2016-17

छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 फरवरी, 2017 को की गई। इस वक्तव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 6.25% पर अपरिवर्तित है।
- हाल के विमुद्रीकरण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीतिगत रुख निभावपरक की बजाय तटस्थ हो गया है।
- 13 मार्च, 2017 से बचत बैंक खातों से नकद आहरणों पर कोई सीमा नहीं।

पीएमजीकेवाई में जमा के नियम सरलीकृत

वित्त मंत्रालय ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणाकर्ताओं को इस योजना में एक या उससे अधिक अवसर पर राशियाँ जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। विमुद्रीकरण के उपरांत इस योजना के अधीन अप्रकट आय की घोषणा करने वाले लोगों के लिए इसप्रकार के धन का कम से कम 25% इस योजना में जमा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राधिकृत बैंकों में रकम 17 दिसंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच जमा की जा सकती है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर निगरानी रखने हेतु नया विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक विनियमनों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रवर्तन विभाग का गठन करेगा। उक्त विभाग 1 अप्रैल, 2017 से कार्य करना आरंभ करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह मत व्यक्त किया है कि विनियमन, चौकसी एवं प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र की पर्यवेक्षण व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। विनियमन उस ढांचे का निर्धारण करते हैं जिसमें वित्तीय संस्थाएं /कंपनियाँ कार्य करती हैं, ताकि एक ओर दूरदर्शिता, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो तथा दूसरी ओर ग्राहक के हितों का संरक्षण हो। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में विनियामक एवं चौकसी कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन मौजूद है, जो प्रवर्तन के मामले में नहीं है।

भीम एप अब आईओएस प्लेटफार्म पर

सरल एवं त्वरित भुगतान लेनदेन करने के लिए एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) पर निर्मित स्मार्ट फोन पर आधारित भारत इंटरफेस फार मनी (BHIM) अब डाउनलोड एवं उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस विकास के परिणामस्वरूप भीम एप अब भारत के लगभग 100% स्मार्ट फोन प्रयोक्ताओं की जरूरतें पूरी करेगा, इसप्रकार, सभी वर्गों के उपभोक्ताओं में डिजिटल लेनदेनो की व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करेगा।

सेबी ने ऋणगत पारस्परिक निधियों के लिए आवास वित्त कंपनियों में निवेश के मानदंड सरल किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वहनीय आवास गतिविधि में अधिक निधियाँ सरणीकृत करने में सहायता करने के उद्देश्य से अब ऋणगत पारस्परिक निधियों को आवास वित्त कंपनियों (HFCs) में उनकी कुल निवल आस्तियों के 15% तक (पूर्ववर्ती 10% के समक्ष) निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस परिवर्तन के साथ कुछेक शर्तें जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए पारस्परिक निधि के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में अतिरिक्त एक्सपोजर की रेटिंग उच्च निवेश वाली हो। इसके अतिरिक्त, संस्था/कंपनी को आवास बैंक के पास पंजीकृत होना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लेनदेनो के डिजिटीकरण की शुरूआत की।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) में लेनदेनों को डिजिटीकृत करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। उक्त प्रक्रिया की शुरुआत स्वतंत्र सूक्ष्म वित्त के लेनदेनों को डिजिटीकृत करके की गई है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों का संवितरण करेगा और एचडीएफसी बैंक चुकौतियाँ प्राप्त करेगा। आधार भुगतान सेतु प्रणाली (APBS) और यूएसएसबी (USSB) पर आधारित *99# मूलभूत सुविधा के नवोन्मेशी उपयोग ने इसे संभव बनाया है। आधार भुगतान सेतु प्रणाली का उपयोग करते हुए सीधे खाते में जमा करने हेतु ग्राहक की आधार संख्यायें संवितरण करने वाले बैंक को भेज दी जाएंगी।

चुकौती के लिए संख्याओं की एक कड़ी को सूक्ष्म वित्त संस्था के विशिष्ट फ़ोन में संपर्क संख्या के रूप में बचा कर रखा जाता है। ग्राहक को इस संपर्क संख्या पर डायल करना होता है, विशिष्ट फ़ोन पर रकम और एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ की पिन की प्रविष्टि करनी होती है तथा चुकौती सफलतापूर्वक हो जाती है.।

सेबी ने पारस्परिक निधियों के व्युत्पन्नियों में निवेश के मानदंड शिथिल किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि मौजूदा पारस्परिक निधि योजनाओं को व्युत्पन्नी (**derivatives**) खंड में निवेश के लिए यूनिट धारकों के बहुलांश के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते निवेशकों को किसी प्रभार के बिना उक्त योजना से बाहर निकलने के लिए 30 दिन की समयावधि प्रदान की जाए। यह परिवर्तन उन मौजूदा पारस्परिक निधियों पर लागू होगा जिनके योजना सूचना प्रलेखों (SIDs) में व्युत्पन्नियों में निवेश की परिकल्पना नहीं की गई है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियां

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण के मूल्य-निर्धारण की समीक्षा की

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए अब यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी तिमाही के दौरान दिए गए उनके ऋणों पर औसत ब्याज दर पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान औसत उधार लागत जोड़िए मार्जिन से अधिक न हो। इसके पूर्व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को

यह सुनिश्चित करना होता था कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए उनके ऋणों पर औसत ब्याज दर उस वित्तीय वर्ष के दौरान औसत उधार लागत जोड़िए निर्धारित सीमा के भीतर मार्जिन से अधिक न हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कूपन भुगतानों के संबंध में एटी-1 बाँड़ों का ढांचा संशोधित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बासेल III ढांचे के अधीन एटी-1 बाँड़ों को अभिशासित करने वाले विनियमों को संशोधित कर दिया है जिसमें उसने उधारदाताओं को लाभों एवं आरक्षित निधियों से कूपनों का भुगतान करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान वर्ष के लाभों के पर्याप्त न होने पर कूपन का भुगतान आगे लाये गए पिछले वर्ष के लाभों और आरक्षित निधियों से किया जाना चाहिए। कूपन के भुगतान के लिए उपलब्ध शेषराशियों का निर्धारण करने हेतु संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय को इन दोनों में से घटा दिया जाना चाहिए। बैंक सांविधिक आरक्षित निधियों से विनियोजन केवल तभी कर सकता है जब वर्तमान वर्ष के लाभों; आगे लाये गए पिछले वर्षों के लाभों तथा अनुमेय आरक्षित निधियों का योग कूपन की रकम से कम हो। शाश्वत ऋण लिखतों पर आरक्षित निधियों से कूपन का भुगतान जारीकर्ता बैंक द्वारा सीईटी 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात हेतु विनियामक आवश्यकताएं पूरी किए जाने की शर्त पर है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

विशिष्ट बैंक नोट गंदे नोट वाली श्रेणी में तिजोरी शेष के अंग होंगे

10 नवंबर, 2016 से मुद्रा तिजोरियों में जमा किए गए 500 रुपए और 1000 रुपए के विशिष्ट बैंक नोट (SBN) कहे जाने वाले विमुद्रीकृत नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गंदे नोट वाली श्रेणी में मुद्रा तिजोरी का एक भाग माना जाएगा। हालांकि, ऐसी जमाराशियों को अगले आदेशों तक तिजोरी शेष सीमा अथवा नकदी धारण सीमा की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

विनियामकों के कथन

बैंकों को फिंटेक फ़र्मों के साथ सहयोग करना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस॰ मूंदडा यह अनुभव करते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि फिंटेक कंपनियाँ पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में रुकावट पैदा कर रही हैं तथा बैंकिंग प्रणाली को चुनौती दे रही हैं, ईंट और गारे वाले बैक अधिक कुशल एवं चपल ((फुर्तीले) वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिंटेक) वाले प्रतिस्पर्धियों के साथ सहयोग करके समृद्ध होंगे। फिंटेक कंपनियों में विप्रेषण, ऋण एवं बचत जैसी ग्राहक विशिष्ट परेशानियों से निपटने की क्षमता है। बैंकों को रुकावट के संभावित प्रभाव का निर्धारण करने तथा अपने व्यवसाय माडलों को पुनरभिमुख करने की आवश्यकता होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने हेतु दो माडलों पर विचार

बैंकिंग प्रणाली की दबावग्रस्त आस्तियों से निर्णायक विधि से निपटने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक दो माडलों यथा- निजी आस्ति प्रबंधन कंपनी (**PAMC)** और राष्ट्रीय आस्ति प्रबंधन कंपनी **(NAMC)** पर आधारित एक योजना पर विचार कर रहा है। निजी आस्ति प्रबंधन कंपनी योजना धातुओं, इंजीनियरिंग उत्पादों, निर्माण, दूरसंचार, कपड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए होगी, जिनमें दबाव ऐसा है कि ऋण माफी के साधारण स्तर के साथ अल्प अवधि में आस्तियों के आर्थिक मूल्य वाली होने जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय आस्ति प्रबंधन कंपनी योजना उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक होगी जिनमें समस्या केवल अतिरिक्त क्षमता को लेकर नहीं, अपितु संभवतया अल्प एवं मध्य अवधि में आर्थिक रूप से व्यवहार्य आस्तियों से संबन्धित है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर ड़ा॰ विरल आचार्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए पांच विकल्प - निजी पूंजी जुटाने, आस्तियों की बिक्री, विलयन, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई और विनिवेश के जरिये, प्रस्तावित किया है।

बीमा

इरडाई ने पीएसपी नियुक्त करने के मानदंड शिथिल किए

पीएसपी की नियुक्ति करने के संबंध में नवंबर, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में संशोधन के अनुसार उन्हें नियुक्त करने वाले जीवन बीमाकर्ता अथवा किसी मध्यवर्ती को अब अभ्यर्थियों को 15 घंटों का आंतरिक प्रशिक्षण देना होगा, जिसके बाद एक परीक्षा ली जाएगी।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री अजय त्यागी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
श्री अशोक गुलाटी श्री मनीष सभरवाल एवं श्री राजीव कुमार	भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर -सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त
श्री श्रीनिवास डी॰ जोशी	कासमास सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
सुश्री नीलम दामोदरन	बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री अतनु कुमार दास	बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री के॰ स्वामीनाथन	इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री अशोक कुमार प्रधान	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री पी॰ रमण मूर्ति	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री फरीद अहमद खान	पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री एम॰ के॰ भट्टाचार्य	इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री एस॰ हरिशंकर	इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में

	नियुक्त
श्री किशोर कुलकर्णी	एनकेजीएसबी बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
श्री हेमंत भार्गव	भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
भारतीय रिजर्व बैंक	बैंक आफ ज़ाम्बिया	पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन।
लक्ष्मी विलास बैंक	सेंट्रम ग्रुप	उसके उच्च निवल मालियत वाले ग्राहकों के लिए व्यावसायिक संपदा प्रबंधन एवं पारिवारिक कार्यालय सेवाओं के लिए।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 फरवरी, 2017 के दिन बिलियन रुपए	24 फरवरी, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	24,256.3	3,62,792.7
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,699.0	3,39,783.2
(ख) सोना	1,305.3	19,248.4
(ग) विशेष आहरण अधिकार	96.5	1,443.6
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	154.9	2,317.5

मार्च, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.32550	1.57220	1.73220	1.87140	1.99520
जीबीपी	0.40880	0.5795	0.6417	0.7153	0.7940
यूरो	-0.18000	-0.140	-0.091	-0.004	-0.091
जापानी येन	0.04750	0.053	0.060	0.078	0.100
कनाडाई डालर	1.19000	1.107	1.233	1.340	1.436
आस्ट्रेलियाई डालर	1.83700	1.940	2.100	2.450	2.570
स्विस फ्रैंक	-0.68500	-0.660	-0601	-0.516	-0.408
डैनिश क्रोन	-0.07010	0.0095	0.0720	0.1765	0.2995
न्यूजीलैंड डालर	2.11210	2.360	2.596	2.802	2.976
स्वीडिश क्रोन	-0.44100	-0.293	-0.111	0.068	0.260
सिंगापुर डालर	1. 33000	1.590	1.790	1.970	2.090
हांगकांग डालर	1.28000	1.580	1.790	1.940	2.060
म्यामार	3.52000	3.560	3.640	3.700	3.800

शब्दावली

आधार भुगतान सेतु प्रणाली (APBS)

आधार संख्याओं का उपयोग करते हुए पात्रतायें वितरित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े संबन्धित प्रायोजक अथवा प्रामाणिक बैंक से प्रत्यक्ष अधिदेश प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण प्रणाली।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रतिदेय बांड

ऐसे बांड जो जारीकर्ता को बाँड़ों को उनकी परिपक्वता से पहले वापस खरीदने का अधिकार प्रदान करते हैं प्रतिदेय बांड कहे जाते हैं। प्रतिदेय बांड सामान्यतया एक प्रारम्भिक अवरुद्धता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। चूंकि, इसप्रकार के बाँड़ों मेँ निवेश करने पर निवेशक वापसी खरीद के अतिरिक्त जोखिम के प्रति अनारक्षित हो जाता है, वे इसप्रकार के विकल्प रहित बाँड़ों की तुलना में सामान्यतया उच्चतर ब्याज दर प्रदान करते है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	खुदरा ऋण	10 से 13 अप्रैल, 2017 तक	मुंबई
2	बैंकिंग में अनुपालन	17 से 19 अप्रैल, 2017 तक	मुंबई
3	वसूली प्रबंधन	17 से 19 अप्रैल, 2017 तक	चेन्नै
4	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन	8 अप्रैल से 12 अप्रैल, 2017 तक	चेन्नै
5	डिजिटल बैंकिंग	17 से 19 अप्रैल, 2017 तक	नई दिल्ली

संस्थान समाचार

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा

संस्थान को मुंबई और कोलकाता मेँ स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों के खुलने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है। इन परीक्षा केन्द्रों मेँ धन शोधन निवारण/ अपने ग्राहक को जानिए, बैंकरों के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त और ग्राहक सेवा तथा बैंकिंग संहिता और मानकों के लिए प्रमाणपत्र परीक्षाएँ पाक्षिक आधार पर संचालित की जाएंगी। इस प्रकार की पहली परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी, 2017 को किया गया। अधिक जानकारी के लिए www,iibf.org.in देखें।

हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (D JCHBBORF) की अंतिम तिथि विस्तारित

संस्थान हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत और विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 मार्च, 2017 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए **www.iibf.org.in** देखें।

चेन्नै में सुरक्षित ई-बैंकिंग पर संगोष्ठी

अपनी सदस्य शिक्षण शृंखला के एक भाग के रूप में संस्थान ने 17 फरवरी, 2017 को साइबर सोसाइटी आफ इण्डिया के सहयोग से होटल ताज कोरोमंडल, नुंगम्ब्क्क्म, चेन्नै -600 034 में सुरक्षित ई-बैंकिंग पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बैकरों को साइबर सुरक्षा क्षेत्र में हो रही वर्तमान घटनाओं तथा उनसे जुड़ी विनियामक अपेक्षाओं से अवगत कराना था।

वित्त और कम्पनी मामलों के माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य व्याख्यान दिया। उक्त संगोष्ठी की शुरुआत तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महा निरीक्षक, तटीय सुरक्षा समूह के वक्तव्य से हुई जिसके बाद इस विषय से संबन्धित तीन सत्रों का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के व्याख्यान एवं सत्र हमारी वेबसाइट **www.iibf.org.in** के जरिये हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे जा सकते हैं।

सेवा कर की नयी दर

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने जून, 2016 से किसी भी या सभी करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उप कर की वसूली किए जाने की सूचना दी है। सेवा कर की प्रभावी दर 14% + 0.5 % (स्वच्छ भारत उप कर) +0.5 % (कृषि कल्याण उप कर) = 15.00 % है। तदनुसार, संस्थान ने सभी शुल्कों में इस परिवर्तन को शामिल कर लिया है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं :

जनवरी-मार्च, 2017 व्यवसाय विश्लेषण
अप्रैल -जून, 2017 मूलभूत सुविधा वित्तीयन में चुनौतियाँ

अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान ने अप्रैल, 2016 के बाद से अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा में प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन नियमित रूप से तिमाही आधार पर करने का निर्णय लिया है।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई/जून माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवंबर/दिसंबर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद अपने ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1。 प्रकाशन स्थल	:	मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	:	मासिक
3. प्रकाशक का नाम	:	डा。 जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	:	डा。 जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम	:	आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा。 जे。 एन。 मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017

डा。 जे。 एन。 मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.5

6.4

6.3

6.2
6.1
6
5.9
5.8

सितंबर, 2016, अक्तूबर, 2016, नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी,2017

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, 2016

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90
85
80
75
70
65
60
55

सितंबर, 2016, अक्तूबर, 2016, नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

10
9
8
7
6
5
4

अगस्त, 2016, सितंबर, 2016, अक्तूबर, 2016, नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम, फरवरी, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम, फरवरी, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : **www.iibf.org.in**.

आईआईबीएफ विजन मार्च, 2017